संख्या–859/9–आ–1–01–24 आईडीएसएमटी/94

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक– 19 सितम्बर 2001

विषय : संगठित विकास योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी ऋण/अनुदान की धनराशि के रख–रखाव, आहरण एवं वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 2952ए/9–आ–1–94, दिनांक 27.8.1994 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संगठित विकास योजनान्तर्गत छोटे मध्यम आकार के नगरों के विकास हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति धनराशि रखने के लिए संयुक्त पृथक खाते अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तथा सहयुक्त नियोजक, केन्द्रीय इकाई/सहायक नियोजक, स्थानीय इकाई/सहयुक्त नियोजक/सहायक नियोजक, संभागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग जिनको नियोजक का कार्य सौंपा गया है, के नाम खोला जायेगा। उक्त खाते से धनराशि नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति/जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात निकाली जायेगी ताकि उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशियों का अन्यत्र उपयोग करने अथवा दुरूपयोग करने की संभावना नही है।

अतः अपने जनपद से संबंधित नगरों के अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे भारत सरकार द्वारा माह जनवरी, 1993 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्त में उल्लिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त खाते में संगठित विकास योजना हेतु अवमुक्त ऋण/अनुदान, परिसम्पत्तियों से प्रापत आय को जमा करना, सेन्टेज चार्जेज एवं ब्याज तथा अन्य समस्त भुगतान की अदायगी एवं अवशेष धनराशि का व्यय पुनर्विनियाजित योजनाओं में कराना सुनिश्चित करें। योजना के चयन एवं उसके पश्चात केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के समय जो शर्ते निर्धारित की जायें उसके अनुरूप खाते के लेखा–जोखा रखने की प्रक्रिया भी सुनिश्चत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या – 859(1)/9–आ–1–01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।

4. उप सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (संगठित विकास योजना के चयनित नगर)।
6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 1

संख्या 4522/9–आ–1–01–2 आईडीएसएमटी/80

लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के एकीकृत नगर विकास की योजना की, जो केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है, के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने, विभिन्न शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का समन्वय करने, योजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण करने, प्रगति समीक्षा तथा मूल्यांकन करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–795/37–1–2 आईडीएसएमटी/80, दिनांक 24 मार्च, 1981 एवं तद्विषयक संशोधन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या–461/37–1–89–45 बैठक/86, दिनांक–25.1.89 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–3148/37–1–89–45 बैठक/86, दिनांक 7.09.89 को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. जिलाधिकारी। अध्यक्ष

2. संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष या प्रशासक या प्रभारी अधिकारी सदस्य

3. नगर एवं ग्राम नियेाजन विभाग का अधिकारी जिनको मुख्य सदस्य नगर एवं ग्राम नियोजक नामांकित करेंगे।

4. अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य जहां अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।

5. अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, जहां सदस्य अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।

6. अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम, सदस्य जहां अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।

7. अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद्, जहां अधीक्षण सदस्य अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।

8. नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी। सदस्य

9. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का स्थानीय अधिकारी (अगर स्थानीय अधिकारी की सदस्य सचिव नियुक्ति नगर स्तर पर न हो तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नामित अधिकारी)।

2 यह समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग, निगम अथवा परिषद के किसी भी अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

3. उक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

4. परियोजनाओं का कार्यान्वयन सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा ही स्थापित होगा किन्तु समस्त योजनायें इस समिति द्वारा जांचने तथा अनुमोदित करने के बाद ही लागू की जायेंगी।

5. इस समिति का कार्य समन्वय के साथ–साथ नगर पालिकाओं को मार्गदर्शन देना एवं जो योजनायें लागू की जा रही हैं उनके समयानुसार कार्यान्वयन हेतु प्रभावी तरीके से नियंत्रक तथा अनुश्रवण करना, प्रगति की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और प्राथमिकताओं का निर्धारण होगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या – 4522(1)/9–आ–1–01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
2. सम्बन्धित नगर पालिका।
3. अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रमुख अभियंता, लो0 नि0 वि0 उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. उपसचिव, निर्माण एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

आज्ञा से,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या–4738 / 9–आ–1–2001

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 1 लखनऊः दिनाँक– 23 अक्टूबर 2001

विषयः छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के ऋण/अनुदान प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से हुई आय को उपयोग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संगठित विकास योजना के अर्न्तगत शासन से प्राप्त ऋण/अनुदान की धनराशि को जिस खाते में जमा किया जाता है, उसी खाते में योजना की परिसम्पत्तियों से हुई आय जमा की जायेगी। उपरोक्त खाते से किसी पुनर्विनियोजित योजना की स्वीकृति मुख्य नगर एवं ग्राम नियेाजक द्वारा नगर की योजना की अवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

2. पुर्नविनियोजित योजना का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त ऋण/अनुदान की धनराशि से सृजित परिसम्पत्तियों से अर्जित आय की धनराशि से प्रस्तावित कर क्रियान्वित की जायेगी। प्रस्तावित पुर्नविनियोजित योजना का क्रियान्वयन, योजना के मानचित्र एवं आगणन इत्यादि की स्वीकृति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
3. उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सहायक नगर नियोजक एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का होगा, जिनके नाम संयुक्त रूप से रिवाल्विंग फण्ड का खाता खुला हुआ है।
उपरोक्त पुर्नविनियोजित योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं, जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

संख्या – 4738(1)/9–आ–1–01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उप सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
6 आवास विभाग, उत्तर प्रदेश के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजनान्तर्गत पुनर्विनियोजित योजना को क्रियान्वित किये जाने से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त :–

1. छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजनार्न्तगत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त ऋण/अनुदान से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से सृजित सम्पत्तियों एवं उससे सम्बन्धित अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाली समस्त आय का लेखा जोखा शासन के निर्देशानुसार सम्बन्धित सहायक नियोजक/सहयुक्त नियोजक तथा सम्बंधित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के संयुक्त खाते में रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रखा जायेगा।

2. सृजित सम्पत्तियों जैसे दुकानों इत्यादि के प्रथम तल पर (यदि स्वीकृत योजना में उस पर कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।) व्यवसायिक उपयोग हेतु दुकानें/हाल/गोदाम इत्यादि का निर्माण इस योजनानतर्गत कराया जा सकता है।

3. यदि नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व में ऐसी कोई भूमि उपलब्ध है, जिस पर आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य ऐसी योजना जो संगठित विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने हेतु प्राविधानित की गयी है, के विकास/निर्माण का कार्य कराया जा सकता है।

4. उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन से पूर्व योजना स्थल का चयन करते समय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के स्थानीय अधिकारी, यदि स्थानीय अधिकारी उपलब्ध न हो तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी तथा सम्बंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जायेगा तथा उपयोगिता के आधार पर स्थल चयनित किया जायेगा।

5. उपरोक्त चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में किया जायेगा।

6. नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति में अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त योजना से सम्बंधित विस्तृत वास्तुकलात्मक डिजाइन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

7. सम्बंधित योजना की विस्तृत वास्तुकलात्मक डिजाइन के अनुमोदन के उपरान्त उसके आगणन की स्वीकृति भी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा की जायेगी।

8. सम्बंधित योजना के क्रियान्वयन किये जाने हेतु कराये जाने वाले समस्त कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया भी संगठित विकास योजना में स्वीकृत योजना के भुगतान की प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी।

9. योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त निर्मित/विकसित सम्पत्ति के निस्तारण से प्राप्त होने वाली समस्त आय को योजना कोष के रिवाल्विंग फण्ड, जो सम्बंधित सहायक नियोजक/ सहयुक्त नियोजक तथा अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित स्थानीय निकाय के संयुक्त खाते में रखा जायेगा।

10. प्राप्त केन्द्र एवं राज्य की ऋण/अनुदान राशि का कम से कम 75 प्रतिशत अंश रिवाल्विंग फण्ड के नगर की अवस्थापना के विकास के लिए वापस करना होगा जिसका उपयोग पुनर्विनियोजित योजना के अर्न्तगत भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार किया जायेगा।

11. रिवाल्विंग फण्ड से पुनर्विनियोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के बिन्दु–4, 5 के अनुसार लाभकारी, लागत वापसी तथा अलाभकारी (सेवायें) योजनाओं पर व्यय का अनुपात 40:, 30: व 30: रखा जायेगा एवं इसी अनुपात के अनुसार पुर्नविनियोजित योजनान्तर्गत योजनाओं की संरचना का अनुपात रखा जायेगा।

12. संबंधित नगरों में संगठित विकास योजनान्तर्गत क्रियान्वित की गई योजनाओं के रख–रखाव का कार्य भी उपरोक्त रिवाल्विंग फण्ड से पुनर्विनियोजित योजनान्तर्गत किया जा सकता है।